न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 14/2024 अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. गजेन्द्र कंवर पत्नी भवानीसिंह 2. आदिती राठौड़ पुत्री भवानीसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. मुकेश कंवर पत्नी संग्रामसिंह 2. रणधीर प्रतापसिंह पुत्र संग्रामसिंह 3. ऐश्वर्या राठौड पुत्री संग्रामसिंह 4. प्रियवंदा राठौड पुत्री संग्रामसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर 5. तहसीलदार शिव

उपस्थित :— 1. वादीनीगण अधिवक्ता — श्री हुकमसिंह चौधरी।
2. प्रतिवादीगण अधिवक्ता — श्री देवीलाल कुमावत।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.04.2026

वादीनीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी के खेत मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 576/318 रकबा 24.4429 हैक्टेयर तथा मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 458/291 रकबा 24.4429 हैक्टेयर के आये हुए है। वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु परिवार के सदस्य है, जो हिन्दू विधि से शासित होते है तथा पूर्व पुरूष स्व0 खुमानसिंह के वारिशान है। उक्त वादग्रस्त आराजी में वादीनी संख्या 1 के पिता व वादीनी संख्या 2 के पति स्व0 भवानीसिंह का 1/2 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 4 वालिद स्व0 संग्रामसिंह का 1/2 खातेदारी हिस्सा आया हुआ है। वादीनीगण के वालिद स्व0 भवानीसिंह एवं प्रतिवादीगण के वालिद स्व0 संग्रामसिंह दोनों सगे भाई थे। उनके मध्य मधुर संबंध होने से कभी वादग्रस्त आराजी का बंटवारा करने तथा कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ। मौजा विरधसिंह की ढाणी के खसरा नम्बर 458/291 में वादीनीगण का रहवासी बड़ा पक्का मकान, पानी का टांका, तारबंदी, कृषि ट्यूबवेल सहित पिछले 40 वर्षो से काबिज काश्त होने से प्रतिवादीगण के वालिद संग्रामसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त खसरा में अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि वादीनीगण के वालिद भवानीसिंह को आपसी सहमति में दे दी गई थी तथा उक्त भूमि के बदले वादीनीगण के वालिद भवानीसिंह द्वारा मौजा डलानाडा के खसरा नम्बर 576/318 की भूमि में से अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण के वालिद संग्रामसिंह को देकर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। उक्त के संबंध में दोनो भाइयों के मध्य विनिमय पत्र का निष्पादन हुआ था, जिसमें भूमि की अदला बदली को स्वीकार किया गया था, जिसका नामांतकरण हल्का पटवारी द्वारा नहीं भरा गया। वर्तमान में वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों के वालिदेन का देहांत होने पर जब हल्का पटवारी को विरासती नामांतरकरण पारित करने हेतु सम्पर्क किया तब सर्वप्रथम ज्ञान हुआ कि विरधसिंह की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 458/291 में प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम नामांतरकरण पारित करवा दिया गया है, जबकि उक्त भूमि पूर्व में प्रतिवादीगण के वालिद द्वारा वादीनीगण के वालिद को दी जा चुकी है। वर्तमान [illegible] के आधार पर वादीनीगण को उनके रहवासी मकान व कब्जा काश्त से बेदखल क[illegible]दा होने से वादीनीगण द्वारा पूर्व में दोनों पक्षो के मध्य आपसी सहमति [illegible] कब्जा काश्त अनुसार मौजा विरधसिंह की ढाणी के खसरा [illegible] सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादीगण [illegible] हटाये जाकर वादीनीगण की खातेदारी घोषित करने तथा मौजा डलानाडा के खसरा नम्बर [illegible]18 की सम्पूर्ण भूमि में वादीनीगण के वालिद भवानीसिंह का नाम हटाया जाकर प्रतिवादी संख्या [illegible] से 4 की खातेदारी घोषित करवाने हेतु तथा स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश किया गया। वादीनीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा समाज के मौजिज लोगों की समझाईश तथा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:56:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

स्वीकार कर खातेदारी घोषणा हेतु सहमति प्रदान की गई। राजीनामा उभयपक्ष की उपस्थिति में तस्दीक किया गया। साथ ही उभयपक्ष द्वारा पारिवारिक सेटलमेंट/समझौता विलेख के दस्तावेज पेश किये गये।

पत्रावली में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादीनीगण अधिवक्ता द्वारा वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार कर राजीनामा में दर्ज अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता द्वारा वादीनीगण अधिवक्ता के बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने बाबत् पूर्ण सहमति प्रदान की गई। उभयपक्ष उपस्थित पक्षकारान् द्वारा भी राजीनामा अनुसार वाद स्वीकार किया गया।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि विवादित आराजी पक्षकारान् की पैतृक एवं अविभाजित खातेदारी है तथा पक्षकार हिन्दू परिवार से होने के कारण हिन्दू विधि से शासित होते है। पैतृक आराजी के संबंध में पक्षकारान् का वादपत्र में सजरा/वंशवृक्ष पेश है। वादीनी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर तथा पक्षकारान जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर राजीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा की जाकर वाद को स्वीकार किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी राजीनामा अनुसार खातेदारी घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया है। राजीनामा की ईबारत उभयपक्ष को पढकर सुनाई गई, जिसे उभयपक्ष द्वारा सुन व समझकर सही होना स्वीकार कर तद्नुसार खातेदारी घोषणा किये जाने बाबत् पूर्ण सहमति प्रदान की गई तथा राजीनामा तस्दीक किया गया। अतः उक्त स्थिति में वादीनीगण व प्रतिवादीगण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो जाने से राजीनामा अनुसार वाद को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादीनीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 458/ 291 रकबा 24.4429 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 17.3481 हैक्टेयर भूमि एवं मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 576/318 रकबा 24.4429 हैक्टैयर भूमि से रकबा 19.7487 हैक्टेयर भूमि वादीनीगण की खातेदारी घोषित की जाती है तथा मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 458/ 291 रकबा 24.4429 हैक्टेयर भूमि में से रकबा 07.0948 हैक्टेयर भूमि एवं मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 576/318 रकबा 24.4429 हैक्टैयर भूमि से रकबा 04.6942 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की खातेदारी घोषित की जाती है। तहसीलदार शिव को उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। उक्त निर्णय से बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलेक्टर (SDO) शिव (बाड़मेर)

निर्णय आज दिनांक 28.04.2026 को ... इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:56:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO) शिव (बाड़मेर)